

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पुनिया, आर.ए.एस.

(1) Jodhpur 2022-062 (GCSM2022-141) Smt Kanchan n ors Vs Shyamsingh etc

1. श्रीमती कंचन धर्मपत्नी महेन्द्र सांखला जाति माली  
निवासी इमरतिया बेरा, पावटा सी रोड  
जोधपुर
2. श्रीमती शारदा धर्मपत्नी प्रेमसिंह सांखला जाति माली  
निवासी इमरतिया बेरा, पावटा सी रोड  
जोधपुर
3. श्रीमती रीना धर्मपत्नी लालसिंह सांखला  
निवासी नयाबास, महामन्दिर,  
जोधपुर
4. श्रीमती सुमन धर्मपत्नी सिद्धार्थ परिहार जाति माली  
निवासी मकान नम्बर 119 शिव शक्तिनगर,  
महामन्दिर, जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म



1. श्यामसिंह पुत्र देवीलाल जाति माली
2. करणसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति माली
3. महेश पुत्र श्यामसिंह जाति माली
4. नरेश पुत्र श्यामसिंह जाति माली
5. प्रदीप पुत्र श्यामसिंह जाति माली  
निवासीगण गली नम्बर 5,  
पावटा सी रोड, जोधपुर
6. जगदीश सिंह पुत्र पन्नालाल जाति माली
7. बट्टीसिंह पुत्र पन्नालाल जाति माली  
निवासीगण चुतरावता पुलिया  
पूजला, जोधपुर
8. प्रतोष पुत्र पन्नालाल जाति माली  
निवासी खसरा नम्बर 92 भदवासिया  
शिकार के बेरे के आगे, जोधपुर
9. श्रीमती गीतादेवी पत्नी पन्नालाल जाति माली  
निवासी चुतरावता पुलिया, पूजला,  
जोधपुर
10. नेमसिंह पुत्र देवजी जाति माली

अपील प्राधिकारी

निवासी कीर्तिनगर पार्क के पास,  
मगरा पूंजला, जोधपुर

11. अर्जुन पुत्र छंवरसिंह जाति माली
12. राहुल पुत्र छंवरसिंह जाति माली
13. मंजू पत्नी छंवरसिंह जाति माली  
निवासीगण बाबू लक्ष्मणसिंह चौराहा, बडला रोड,  
महामन्दिर तीसरी पोल के बाहर, जोधपुर
14. केशव पुत्र भंवरलाल जाति माली  
निवासी जूनी बागर, महामन्दिर जोधपुर
15. अभिषेक पुत्र अजीतसिंह जाति माली  
निवासी जूनी बागर, महामन्दिर जोधपुर
16. लक्ष्मणसिंह पुत्र दाउलाल जाति माली
17. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी दाउलाल जाति माली  
निवासीगण जूनी बागर महामन्दिर जोधपुर
18. श्रीमती कमला पत्नी हीरालाल जाति माली  
निवासी जूनी बागर महामन्दिर जोधपुर
19. शेरसिंह पुत्र हीरालाल जाति माली  
निवासी भदवासिया रिद्धि सिद्धी नगर, जोधपुर
20. अशोक पुत्र हीरालाल जाति माली  
निवासी रामसागर चौराहा, पूंजला जोधपुर
21. परमानन्द पुत्र हीरालाल जाति माली
22. राजेन्द्र पुत्र हीरालाल जाति माली
23. सुरेन्द्रसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति माली
24. नरेन्द्रसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति माली  
निवासीगण जूनी बागर महामन्दिर जोधपुर
25. राजस्थान सरकार  
जरिये तहसीलदार जोधपुर
26. दुर्गासिंह पुत्र दाउलाल जाति माली  
निवासी जूनी बागर, महामन्दिर, जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक  
कलेक्टर जोधपुर दिनांक 07 मार्च 2022 राजस्व वाद  
संख्या 101/2014 श्यामसिंह बनाम जगदीशसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री सुगनमल परिहार एवं श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स

राजस्थान अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स  
जोधपुर

- श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 से 5  
श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 6 से 10  
श्री कैलाशसिंह भाटी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 11  
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 25

(2) Jodhpur 2022-059 (GCSM2022-137) Jagdishsingh n ors Vs Shyamsingh etc


1. जगदीश सिंह पुत्र पन्नालाल जाति माली
2. बद्रीसिंह पुत्र पन्नालाल जाति माली
3. प्रतोष पुत्र पन्नालाल जाति माली
4. श्रीमती गीतादेवी पत्नी पन्नालाल जाति माली
5. नेमसिंह पुत्र देवजी जाति माली  
निवासीगण चुतरावतों का बेरा, माता का थान  
पूंदला, जोधपुर

अपीलाण्ड्स...

ब

ना

म



1. श्यामसिंह पुत्र देवीलाल जाति माली
2. करणसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति माली
3. महेश पुत्र श्यामसिंह जाति माली
4. नरेश पुत्र श्यामसिंह जाति माली
5. प्रदीप पुत्र श्यामसिंह जाति माली  
निवासीगण रवाला बेरा, चैनपुरा  
पूंदला जोधपुर हाल निवासी जूनी बागर महामन्दिर  
जोधपुर
6. अर्जुन पुत्र छंवरसिंह जाति माली
7. राहुल पुत्र छंवरसिंह जाति माली
8. मंजू पत्नी छंवरसिंह जाति माली
9. केशव पुत्र भंवरलाल जाति माली
10. अजीतसिंह पुत्र दाउलाल जाति माली
11. दुर्गासिंह पुत्र दाउलाल जाति माली
12. लक्ष्मणसिंह पुत्र दाउलाल जाति माली
13. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी दाउलाल जाति माली
14. श्रीमती कमला पत्नी हीरालाल जाति माली

राजस्थान अपील प्राधिकारी  
जोधपुर

15. शेरसिंह पुत्र हीरालाल जाति माली
16. अशोक पुत्र हीरालाल जाति माली
17. परमानन्द पुत्र हीरालाल जाति माली
18. राजेन्द्र पुत्र हीरालाल जाति माली
19. ओमप्रकाश पुत्र देवीलाल जाति माली  
निवासीगण जूनी बागर महामन्दिर जोधपुर
20. राजस्थान सरकार  
जरिये तहसीलदार जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक  
कलेक्टर जोधपुर दिनांक 07 मार्च 2022 राजस्व वाद  
संख्या 101/2014 श्यामसिंह बनाम जगदीशसिंह इत्यादि

उपस्थित-

- श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स  
श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 से 5  
श्री कैलाशसिंह भाटी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 11  
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 20

निर्णय

दिनांक : 08 दिसम्बर, 2022

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर जोधपुर द्वारा  
राजस्व वाद संख्या 101/2014 श्यामसिंह बनाम जगदीश सिंह इत्यादि  
में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 07 मार्च 2022 के खिलाफ  
आलौच्य अपीलें अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत प्रस्तुत की है।

इन दोनों अपीलों से संबंधित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी,  
वादग्रस्त आराजियात एवं तथ्य इत्यादि एक समान होने से इन दोनों  
अपीलों का निस्तारण उभयपक्षकारान की सहमति से एक ही निर्णय  
द्वारा एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित  
अपील पत्रावली के संलग्न रखी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर



अपील संख्या Jodhpur 2022-141 (GCSM2022-141) Smt Kanchan n ors Vs Shyamsingh etc के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से एक प्रार्थनापत्र बाबत अनुमति करने अपील भी पेश किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी खसरा संख्या 92 रकबा 38 बीघा 07 बिस्वा वाके मौजा भदवासिया के संबंध में वादीगण-रेसपो. संख्या एक से पांच ने एक राजस्व वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 मार्च 2022 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपीलें पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अपील संख्या Jodhpur 2022-141 (GCSM2022-141)

Smt Kanchan n ors Vs Shyamsingh etc के संबंध में अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का बापी पट्टा मारवाड रियासत काल में देवीलाल पुत्र रूगजी माली के नाम जारी हुआ था, खातेदार देवीलाल के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी उसके दो पुत्रों पन्नालाल व नेमसिंह के नाम दर्ज हुई। इनमें से पन्नालाल का देहान्त होने पर उसके वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी बाबत दर्ज किया गया। इस प्रकार देवीलाल पुत्र रूगजी के वंशज आलौच्य अपील में रेसपो. संख्या 6 से 10 है। जिनमें से नेमसिंह द्वारा अपने हिस्से में से 4 बीघा भूमि का बेचान मैनाकंवर पत्नी कुम्भसिंह के पक्ष में किया गया और बेचान के बाद पन्नालाल के वारिसान, नेमसिंह तथा केताओं के मध्य आपसी समहति से वादग्रस्त आराजी का विभाजन



अपील अधिकारी

किया गया और तदनुसार म्युटेशन संख्या 1023 दिनांक 09 जनवरी 2009 स्वीकार किया गया। श्रीमती मैनाकंवर द्वारा अपने हिस्से में आयी भूमि खसरा संख्या 92/1 रकबा 4 बीघा बाबत पंजीबद्ध विक्रय विलेख वर्तमान अपीलाण्ड्स के पक्ष में निष्पादित किया गया, तदनुसार म्युटेशन संख्या 1085 दिनांक 21 जनवरी 2011 स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। तब से अपीलाण्ड्स वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काशतकार है। मगर अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से पांच की ओर वादग्रस्त आराजी के मूल रकबा बाबत प्रस्तुत राजस्व वाद में वर्तमान अपीलाण्ड्स को पक्षकार बनाये बिना ही दावा पेश कर डिकी पारित करवा ली गयी। इस प्रकार अपीलाण्ड्स वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।



दोनों अपीलों में अपीलाण्ड्स के अधिवक्तागण ने मामले के गुणावगुण पर बहस करते हुए जाहिर किया कि वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से पांच देवीलाल पुत्र रूगजी के पुत्र नहीं है अपितु देवा पुत्र लालजी के वारिसान है। देवीलाल पुत्र लाला का देहान्त होने के बाद ग्राम मण्डोर स्थित उसकी खातेदारी के खसरा संख्या 432 बाबत फौतदगी म्युटेशन संख्या 1465 (जिसकी पुस्त पर देवा पुत्र लाला की वंशावली भी अंकित है) वादीगण के नाम स्वीकृत कराया गया है। किन्तु गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा पेश कर स्वयं को देवीलाल पुत्र रूगजी के वारिसान बताते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करवा लिये गये। चूंकि वादग्रस्त आराजी का खातेदार देवीलाल पुत्र रूगजी एवं

वादीगण के पूर्वज देवा पुत्र लाला दो अलग-अलग व्यक्ति होने के कारण वादग्रस्त आराजी बाबत वादीगण को कोई हक-हकूक प्राप्त नहीं होते है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी बाबत उन्हें कोई वाद-हेतुक (cause of action) भी उत्पन्न नहीं होता है। अतः उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा वाद-हेतुक (cause of action) के अभाव में चलने योग्य ही नहीं था। अपीलान्ट्स वादग्रस्त आराजी में से 4 बीघा भूमि के जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख सद्भावी केता एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण दावा मिसज्योइण्डर ऑफ नेसेसरीज पार्टीज के दोष से ग्रसित होने के कारण भी खारिज किये जाने योग्य था। वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से पांच ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कपटपूर्वक मिथ्यों कथनों के आधार पर प्रस्तुत करने के कारण भी खारिज किये जाने योग्य हो जाता है। किन्तु इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड एवं अन्य साक्ष्य को मिसरीड एवं मिसएप्रिसियेट करते हुए मात्र मौखिक कथनों के आधार पर दावा डिकी करने में गम्भीर विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गयी है। अधिवक्ता-अपीलान्ट्स ने न्यायालय का ध्यान अपील संख्या Jodhpur 2022-141 (GCSM2022-141) Smt Kanchan n ors Vs Shyamsingh etc में अपील स्तर पर रेस्पो. संख्या 11 अर्जुन पुत्र छंवरसिंह की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र की ओर आकर्षित करते हुए अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दोनों अपीलों में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 5 ने अपनी बहस में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन किया और कथन किया कि वादीगण-रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समुचित

राजाव अपील प्राधिकारी

साक्ष्य सबूत पेश कर अपने वाद को साबित किया है। प्रतिवादीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता उपस्थित हुए, किन्तु कोई जवाबदावा आदि पेश नहीं किया गया। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 92 रकबा 38 बीघा 07 बिस्वा वाके मौजा भदवासिया का बापी पट्टा रियासत जोधपुर श्री दरबार राज मारवाड द्वारा दिनांक 17 जुलाई 1943 को देवीलाल बेटो रूंगारो के नाम जारी किया जाना भलीभांति सिद्ध है। वादग्रस्त आराजी बाबत खतौनी मौजा भदवासिया परगना जोधपुर गर्वनमेण्ट संवत 1999 में बतौर खातेदार देवीलाल बेटा रूंगारो दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2022 से 2025 एवं 2025 से 2048 में वादग्रस्त आराजी पर कब्जा देवीलाल पुत्र रूधाराम माली का दर्ज है। म्युटेशन संख्या 153 में खाता संख्या 55 खसरा संख्या 92 रकबा 38 बीघा 07 बिस्वा देवीलाल पुत्र रूधाराम माली का अंकित है। खाता संख्या 56 के खसरा संख्या 82 व 83 के सहखातेदारान देवा सागल रावता धोकल पिसरान रूगा में से देवा पुत्र रूगा प्रतिवादीगण संख्या एक से चार पन्नालाल एवं प्रतिवादी संख्या 5 नेमसिंह के पूर्वज थे, अतः नामों की समानता के कारण दोनों खातों बाबत एक ही म्युटेशन भरे जाने मात्र से वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 92 बाबत प्रतिवादीगण का कोई हक नहीं बनता है। वर्तमान अपीलान्ट्स के पक्ष में वादग्रस्त आराजी बाबत किया गया बेचान प्रारम्भ से ही शून्यप्रभावी होने के कारण उन्हें कोई अधिकार अर्जित नहीं होते हैं, अतः वर्तमान अपीलान्ट्स आलौच्य अपील प्रस्तुत करने के मुश्तहक नहीं है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से पांच ने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें खारिज किये जाने का निवेदन किया।

राजव अपील प्राधिकारी  
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता ने मामलें के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मतः एवं न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आधोपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज 32-33 के रूप में उपलब्ध जमाबंदी ग्राम भदवासिया संवत 2059-2062 (प्रदर्श ए-14) में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 92 बाबत पन्नालाल नेमसिंह पि. देवीलाल माली साकिन देह खातेदार ना.क.211 दर्ज है तथा विशेष विवरण के कॉलम में (अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज 33) खसरा संख्या 92 बाबत न्युटेशन संख्या 1023 तथा न्युटेशन संख्या 1085 के हवाले से निम्नलिखित विवरण अंकित किया गया है -



न्युटेशन संख्या 1023 बेचान दिनांक 09.01.09 खसरा संख्या 92 का बंटवारा निम्न दर्ज किया गया -

	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
1 नेमसिंह पुत्र देवीलाल माली सा.देह	92	17-03-10	बारानी-1	8.35
2 जगदीशसिंह पुत्र पन्नालाल माली सा. देह	92/4	02-15-17	बारानी-1	0.70
3 बद्रीसिंह पुत्र पन्नालाल माली सा. देह	92/2	04-15-17	बारानी-1	2.08
4 प्रतोष पुत्र पन्नालाल माली सा. देह	92/3	04-15-17	बारानी-1	2.08
5 गीतादेवी पुत्री पन्नालाल माली सा. देह	92/5	04-15-19	बारानी-1	2.08
6 श्रीमती मैना कंवर पत्नी कुम्भसिंह राजपूत सा. देह खातेदार	92/1	04-00-00	बारानी-1	1.41

न्युटेशन संख्या 1085 बेचान दिनांक 21.1.11 द्वारा सम्पूर्ण खाते में न्युटेशन संख्या 1023 से दर्ज मैनाकंवर के स्थान पर (1) श्रीमती शारदा पत्नी प्रेमसिंह जाति सांखला माली सा. इमरतिया बेरा, पावटा सी रोड जोधपुर (एक बीघा), (2) श्रीमती सुमन पत्नी सिद्धार्थ परिहार जाति

११

११

माली सा. शिव शक्ति नगर महामन्दिर जोधपुर (एक बीघा), (3) श्रीमती रिना पत्नी लालसिंह सांखला जाति माली सा. महामन्दिर जोधपुर (एक बीघा), (4) श्रीमती कंचन पत्नी महेन्द्रसिंह सांखला जाति माली सा. इमरतिया बेरा, पावटा सी रोड जोधपुर (एक बीघा) खातेदार के नाम ख.न. 92/1 4 बीघा बाराणी-1 लगान 1.41 दर्ज किया।

उक्त इन्द्रजात के आधार पर अपीलाण्डस मूल खसरा संख्या 92 रकबा 38 बीघा 07 बिस्वा से बने खसरा संख्या 92/1 रकबा 4 बीघा के रिकार्डेड खातेदारान एवं हितबद्ध होना तथा उक्त मूल खसरा बाबत पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार होना पाया जाता है। अतः प्रार्थनापत्र बाबत अपील पेश करने की अनुमति स्वीकार किया जाकर अपीलाण्डस श्रीमती कंचन इत्यादि को आलोच्य अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज 20 पर उपलब्ध प्रदर्श ए-2 ग्राम भदवासिया स्थित आराजी खसरा संख्या 92 रकबा 38 बीघा 07 बिस्वा का बापी पट्टा गांव भदवासिया परगना जोधपुर रियासत जोधपुर दरबार राज मारवाड द्वारा दिनांक 10 जून 1943 को खातेदार देवीलाल पुत्र रूगाराम के नाम जारी किया जाना साबित है और वादग्रस्त आराजी देवीलाल पुत्र रूगाराम की खातेदारी की होने के संबंध में पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। किन्तु वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित वंशावली के अनुसार वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 5 के पूर्व-पुरुष रूगा उर्फ रूपोजी के पुत्र देवीलाल के 5 पुत्र भंवरलाल, दाउलाल, हीरालाल, ओमप्रकाश व श्यामसिंह होना दर्शाया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच की ओर से प्रपत्र 3 के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रमाणित प्रतिलिपि म्युटेशन संख्या 1465 (जो खसरा

संख्या 432 एवं 266 के सहखातेदार देवा पि. लाला दिनांक 15 दिसम्बर 1987 को फौत होने पर उसके वारिसान के हक में स्वीकृत किया गया) की पुस्त पर देवा पि. लाला के वारिसान ओमप्रकाश, भंवराराम, हीरालाल, दाउराम, श्याम, सुवाबाई अंकित किये हुए है। इससे अधिवक्तागण-अपीलाण्ट्स के इस कथन को बल मिलता है कि वादीगण वस्तुतः देवीलाल पुत्र रूगाराम के वारिसान नहीं होकर वास्तव में देवा पुत्र लाला के वारिसान है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अपील संख्या Jodhpur 2022-062 (GCSM2022-141) Smt Kanchan n ors Vs Shyamsingh etc में अपील स्तर पर रेस्पों. संख्या 11 अर्जुन पुत्र छवरलाल (जो उक्त वर्णित न्युटेशन संख्या 1465 की पुस्त पर वर्णित वंशावली के अनुसार भंवरलाल पुत्र पुत्र देवा का पौत्र है) ने अपना शपथपत्र किया है जिसके पद संख्या दो में “... खसरा संख्या 92 गांव भदवासीया से हमारा कोई सरोकार नहीं है, मेरे पडदादा देवजी पुत्र लालजी के पांच पुत्र कमशः ओमप्रकाश, भंवरलाल, हीरालाल, दाउलाल व श्याम तथा पुत्री सुवाबाई हुए....” अंकित किया है। इसी प्रकार उक्त शपथपत्र के पद संख्या तीन में “... देवजी पुत्र लालजी के खातेदारी की भूमि गांव मण्डोर सेकेण्ड में खसरा संख्या 432 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा आयी हुई है जिसका विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1465 स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1465 की पुस्त पर स्व. देवजी पुत्र लालजी की सम्पूर्ण वंशावली लिखी हुई है। हम देवजी पुत्र रूगजी के वारिसान नहीं है..” अंकित किया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अपील संख्या Jodhpur 2022-062 (GCSM2022-141) Smt Kanchan n ors Vs Shyamsingh etc में अपीलाण्ट्स श्रीमती कंचन इत्यादि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 92 से बने खसरा



गजसव अपील प्राधिकारी  
देवार

संख्या 92, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4 व 92/5 में से खसरा संख्या 92/1 के रिकार्ड ख़ातेदार होने से मामले में अनिवार्य पक्षकारान है जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। न्यायहित में तथा प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुसरण में वर्तमान अपीलान्ट्स को मूल वाद में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में उक्त दोनों अपीलें आंशिक स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 मार्च 2022 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट्स श्रीमती कंचन इत्यादि को मूल वाद में बतौर प्रतिवादीगण पक्षकारान संयोजित किया जाकर सभी प्रतिवादीगण को जबाब एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावे और नियमानुसार विधिक प्रकिया के अनुरूप मामले में तनकियात कायम की जाकर उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद समुचित विवेचन एवं विश्लेषण सहित तनकीवार निष्कर्ष पारित करते हुए मूल वाद का न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दि 08-12-2022  
(मंगलाराम पुनिया)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

